कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक/2567/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 29 जुलाई 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्र. 2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 25.07.2020 एवं आदेश क्रमांक 2540/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला सूरजपुर के नगरीय निकायों सीमा क्षेत्र के साथ—साथ नगर पंचायत बिश्रामपुर से लगे ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था एवं उक्त आदेश की कंडिका "अ" के अनुसार जिला—सूरजपुर के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के साथ—साथ नगर पंचायत बिश्रामपुर से लगे ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर के अंतर्गत संक्रमण के बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालिन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 28.07.2020 से 31.07.2020 तक उक्त आदेश की कंडिका "ब" वर्णित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई थी।

2. जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय क्षेत्र एवं उसके आस—पास के ग्रामों में पिछले सात दिवस के दौरान कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिनांक 28.07.2020 तक की स्थिति में 44 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। स्पष्ट है कि जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के साथ—साथ उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एंव आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिला—सूरजपुर के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र के साथ—साथ जिले के **समस्त जनपदों के मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत शिवनन्दनपुर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।**

3. उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी **आदेश क्रमांक/2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 25.07.2020 की कंडिका "अ" एवं कंडिका "ब" में वर्णित गतिविधियों पर लगाई गई रोक की समय—सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 06.08.2020 के रात्रि 12:00 बजे तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उक्त आदेश जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के साथ—साथ जिले के समस्त जनपद मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत शिवनन्दनपुर के सीमाक्षेत्र में भी प्रभावशील होगा।** उक्त आदेश में जहाँ—जहाँ नगरीय निकाय अंकित है, उसके स्थान पर नगरीय निकाय, जनपद मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत शिवनन्दनपुर पढ़ा जाये।

4. फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय—समय पर छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर/थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं तथा कृषि औषधि एवं बीज की दुकानों को दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2020 (02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां करने की

अनुमति प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होगी। किराने की दुकानों के माध्यम से राखी एवं त्यौहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय उक्त अवधि में किया जा सकता है।

5. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 25.07.2020 के कंडिका ''स'' में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान को प्रतिबंध में शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है, कंडिका ''स'' में वर्णित सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- क्रमांक 3 ''भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय'' को विलोपित किया जाता है।
- क्रमांक 11 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
  ''घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06 बजे से 09:30 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से 07:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे''
- क्रमांक 17 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
  ''टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी./आधारित सेवायें''
- क्रमांक 18 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
  ''पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के विक्रय परिवहन एवं भंडारण संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक होगी''
- क्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
  खाद्य, मिठाई/मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति''
- क्रमांक 22 में से ''टेक अवे'' को विलोपित किया जाता है।
- कंडिका ''स'' में वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते हुए क्रम में निम्न सेवाओं में भी शर्तों के अधीन प्रतिबंध में छूट प्रदान की जाती है :-
  ''पेट्स शॉप/एक्युरियम (Pets Shop & Aquarium) प्रातः 09:00 बजे से प्रातः 09:30 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।''

6. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 25.07.2020 की कंडिका ''द'' में वर्णित शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। कंडिका ''द'' की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

7. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत् रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 25.07.2020 एवं क्रमांक/2540/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020, दिनांक 27.07.2020 के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रणबीर शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 2567ᴬ / एस.डब्ल्यू. शाखा / 2020 सूरजपुर, दिनांक 29 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर अटलनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला–सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व तहसीलदार / नायब तहसीलदार जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)